रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930
No. 488] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2008/CHAITRA 22, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2008

का.आ. 856(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि संगमों नामश: नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के दिनांक 31-3-2008 के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अंतर्गत आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/41/2007-एन ई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत गठित अधिकरण के समक्ष

नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा के मामले में :

और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के मामले में :

और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत संदर्भित मामले में

रिपोर्ट

1. श्री वी.एन. गौड़, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा 3 अक्तूबर, 2007 को इस आशय की एक अधिसूचना सं. का.आ. 1692(अ) जारी की गई थी कि केन्द्र सरकार का यह मत है कि नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा इसके विभिन्न विंगों (जिन्हें इसमें इसके बाद एन एल एफ टी कहा गया है।) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके बाद ए टी टी एफ कहा गया है) की गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए हानिकारक हैं और यह कि ये विधिविरुद्ध संगठन हैं। इसके परिणामस्वरूप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था।

2. केन्द्र सरकार का यह भी मत था कि इन दोनों संगमों की गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाने तथा इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है और अत: इसका यह मत था कि उक्त अधिनियम की धारा 3(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार का यह मत था कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ :

(i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं और इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है और लोगों में डर एवं आतंक फैलाया है;

(ii) ने यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और मणिपुर के मैतई उग्रवादी गुटों जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे संबंध स्थापित किए हैं;

(iii) हाल के पिछले कुछ समय से अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं;

4. हिंसक और विधिविरुद्ध गतिविधियों के संबंध में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित को शामिल किया :

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या;

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना;

(ग) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना;

(घ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करना एवं उसमें वृद्धि करना।

5. उक्त अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग से प्रयोजन के लिए यह कहा गया कि यदि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगा:

(i) अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडरों को संगठित करना;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;

(iii) अधिकाधिक नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

(v) अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठी करना तथा जबरन धन ऐंठना ।

6. उपर्युक्त परिस्थितियों में तथा इस अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1851(अ) के द्वारा इस अधिकरण का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 4(1) के अधिकार से इस अधिकरण को यह न्याय निर्णय करना है कि क्या इस अधिनियम की धारा 2(त) के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं।

7. अपने मामले के समर्थन में केन्द्र सरकार ने अधिकरण को एक पत्र लिखा तथा एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के लक्ष्यों, उद्देश्यों और हिंसक गतिविधियों के संबंध में एक सार प्रस्तुत किया।

8. एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को 6 नवम्बर, 2007 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया कि दिनांक 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना की पुष्टि क्यों नहीं की जाए। यह निदेश दिया गया कि इन दोनों संगमों को नोटिस की तामीली दिनांक 3 अक्तूबर, 2007 की राजपत्र अधिसूचना को अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन, इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में उद्घोषणाओं के द्वारा; राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति इन दोनों संगमों तथा उनके प्रधान पदाधिकारियों के पिछले ज्ञात पतों पर राजपत्र अधिसूचना की प्रति सहित इस नोटिस को चिपकाकर; त्रिपुरा राज्य के सभी चारों जिला मुख्यालयों में उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर राजपत्र अधिसूचना की प्रति सहित नोटिस को प्रदर्शित करके तथा त्रिपुरा राज्य के सभी चारों जिला मुख्यालयों तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां ऐसा माना जाता है कि इन दोनों संगमों की गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई जाती हैं, इस नोटिस तथा राजपत्र अधिसूचना को विषय वस्तु के बारे में ढोल पीटकर तथा लाउड स्पीकरों के द्वारा उद्घोषणा करके की जाए।

9. दिनांक 6 नवम्बर, 2007 के आदेश के अनुसरण में त्रिपुरा राज्य ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 को इस आशय का एक अनुपूरक शपथपत्र दायर किया कि राजपत्र अधिसूचना का पर्याप्त प्रचार करके इन संगमों को नोटिस की तामीली कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने 13 दिसम्बर, 2007 को इस आशय का एक शपथ पत्र भी दायर किया कि इन दोनों संगमों को निर्धारित तरीकों से तामीली कर दी गई है।

10. तामीली के बावजूद इन दोनों संगमों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तद्नुसार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 के एक आदेश के द्वारा एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ दोनों के बारे में एक पक्षीय रूप से कार्यवाई की गई।

11. एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी अपने मामले के समर्थन में त्रिपुरा राज्य ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 को एक शपथ पत्र दायर किया तथा केन्द्र सरकार ने दिनांक 2 जनवरी, 2008 को एक शपथ पत्र दायर किया। दिनांक 9 जनवरी, 2008 को त्रिपुरा राज्य और केन्द्र सरकार ने साक्ष्य में अपने-अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किए। त्रिपुरा राज्य द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा श्री आर. आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय का दिनांक 24 मार्च, 2008 का एक अतिरिक्त शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

12. दिनांक 2 फरवरी, 2008 को त्रिपुरा राज्य ने भरोसे योग्य मांगे गए इन दस्तावेजों की प्रमाणित तथा कार्बन प्रतियां भी प्रस्तुत

कीं और इन्हें मार्क क से ठ तथा प्रदर्श-1 से प्रदर्श एन-33 तक के रूप में चिह्नित किया गया है।

13. केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए श्री आर. आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के एक शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि एन एल एफ टी का गठन जून, 1989 में किया गया था तथा इस समय इसका नेतृत्व विश्व मोहन देबबर्मा द्वारा किया जा रहा है जबकि ए टी टी एफ का गठन 1993 में किया गया था तथा इसका नेतृत्व रंजीत देबबर्मा के हाथ में है। इन दोनों संगठनों का घोषित उद्देश्य अन्य अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करके एक पृथक देश का निर्माण करना है।

14. यह उल्लेख किया जाता है कि ए टी टी एफ तथा इसका राजनैतिक विंग, अर्थात् त्रिपुरा प्यूपल डेमोक्रेटिव फ्रन्ट (टीपीडीएफ) त्रिपुरा के भारत में विलय के विरोध में 15 अक्तूबर को काले दिवस के रूप में मनाता रहा है तथा यह प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस/स्वतन्त्रता दिवस समारोहों का भी बहिष्कार करता रहा है। कुछ अन्य संगठनों के साथ यह त्रिपुरा के भारत में विलय को अवैध बताकर इसकी निंदा करता रहा है।

15. यह उल्लेख किया जाता है कि एन एल एफ टी के नेता बंगलादेश में शिविरों में रहते हैं तथा अपनी गतिविधियां चलाने के लिए अकसर त्रिपुरा जाते रहते हैं। इस संगम का मुख्यालय बंगलादेश में है तथा उस देश में इसके छिपने के अड्डे तथा आश्रय हैं। एन एल एफ टी द्वारा त्रिपुरा में अधिकांश हिंसक घटनाओं की योजना बंगलादेश में तैयार की गई है तथा उन्हें कार्यरूप दिया गया है तथा अपहरण किए गए व्यक्तियों को भी इस देश में ले जाया जाता है।

16. इसी प्रकार, ए टी टी एफ के भी बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर, छिपाने के अड्डे तथा आश्रय स्थल हैं और यह, विशेष रूप से शस्त्रों के प्रापण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर के अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ गहन संबंध बनाए रखता है। ए टी टी एफ, त्रिपुरा में हिंसा फैलाने तथा शस्त्रों का प्रापण करने के लिए बंगलादेश के भू-भाग का भी प्रयोग करता रहा है ।

17. शपथ पत्र में यह उल्लेख किया जाता है कि इस राज्य के 34 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को त्रिपुरा राज्य द्वारा, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशान्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। किन्तु इसके बावजूद, इन दोनों संगठनों द्वारा हिंसा तथा जबरन धन वसूली की गतिविधियां जारी हैं।

18. यह उल्लेख किया जाता है कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों संगठनों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है, किन्तु यह किसी वैचारिक परिवर्तन के कारण नहीं है बल्कि यह दूर-दराज के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तीव्र कार्रवाई तथा विद्रोह विरोधी कार्रवाई सहित गिरते मनोबल तथा नेताओं के प्रति मोह भंग, पालायन, जन जातियों में सतत रूप से कम होते समर्थन आदि जैसे घटकों के कारण है। यह उल्लेख किया जाता है कि एन एल एफ टी सामान्य रूप से गैर-जन जातीय लोगों तथा पुलिस/सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाता है। जबरन धन वसूली की इसकी आदतों के विरोधी आदिवासियों को भी नहीं बख्शा जाता है।

19. यह उल्लेख किया जाता है कि गैर-जन जातीय लोगों पर हमलों से जन जातीय लोगों तथा बंगाली लोगों के बीच नृजातीय तनाव अक्सर पैदा हुआ है कि जिसके शिकार निर्दोष लोग हुए हैं जिससे राज्य में आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लोगों के बीच बड़ी खाई आ गई है जिसके कारण तनावपूर्ण नृजातीय स्थिति पैदा हो गई है। यह उल्लेख किया जाता है कि हाल ही में मुख्य रूप से सुरक्षा बल तथा आदिवासी लोग एन एल एफ टी की हिंसा के शिकार हुए हैं तथा जबरन धन-वसूली, लूटपाट, अपहरण, व्यपहरण आदि की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं।

20. जहां तक ए टी टी एफ का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि पश्चिम त्रिपुरा में इसकी स्थिति बहुत मजबूत है तथा इनके पास एके-47/एके-56 सीरीज रायफल्स, स्टेनगन तथा कार्बाइन आदि सहित 300 शस्त्र होने का अनुमान है। ए टी टी एफ, विचारधारा के नाम पर व्यवसायों तथा सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन वसूली में संलिप्त रहे हैं तथा फिरौती के लिए अपहरण का भी सहारा ले रहा है।

21. शपथपत्र में, वर्ष 2006 तथा 2007 में एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ द्वारा की गई कुछ घटनाओं का अनुलग्नक के रूप में उल्लेख किया गया है ।

22. एन एल एफ टी से संबंधित अनुलग्नक में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 14 फरवरी, 2006, 29 अप्रैल, 2006, 7 अगस्त, 2006 तथा 24 अक्तूबर, 2006 की चार प्राथमिकियों का उल्लेख किया है। त्रिपुरा राज्य द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों में भी इनका उल्लेख किया गया है और उचित स्तर पर इनका निपटान किया जाएगा ।

23. पांच अन्य घटनाओं का उल्लेख किया गया है :

(i) दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 (पुलिस स्टेशन मानु) की प्राथमिकी में यह उल्लेख किया गया है कि एन एल एफ टी ने एक टी एस आर पार्टी पर घात लगा कर हमला किया जिससे 2 टी एस आर कर्मियों की मौत हो गई। एन एल एफ टी के काडर एक मैगजीन सहित एके-47 राइफल भी छीन कर भाग गए।

(ii) दिनांक 30 अक्तूबर, 2006 (पुलिस स्टेशन नेपालटिल्ला) की प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि एन एल एफ टी काडरों ने एक टी एस आर पार्टी पर घात लगाकर हमला किया जिसमें एक टी एस आर कार्मिक की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। ये काडर तीन

मैगजीनों तथा 90 राउन्ड गोला बारूद सहित एक एके-47 राइफल भी छीन कर ले गए।

(iii) दिनांक 2 मार्च, 2007 (पुलिस स्टेशन लोंगथराई वैली) की प्राथमिकी में यह जिक्र किया गया है कि एन एल एफ टी के उग्रवादियों ने दो आदिवासी श्रमिकों की पुलिस के मुखबिर होने के शक में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी।

(iv) 15 अगस्त, 2007 (पुलिस स्टेशन गंगानगर) की प्राथमिकी में यह उल्लेख किया गया है कि एन एल एफ टी के उग्रवादियों ने के.रि.पु.ब. की एक पार्टी पर घात लगाकर हमला कर दिया जिसमें एक के.रि.पु.ब. कार्मिक मारा गया।

(v) दिनांक 27 अगस्त, 2007 (पुलिस स्टेशन मुंगियाकौरी) की प्राथमिकी में एन एल एफ टी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक टी एस आर कार्मिक की मौत हो गई।

24. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2008 के एक प्रार्थना-पत्र के साथ प्राथमिकियों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल की गई हैं।

25. जहां तक ए टी टी एफ की गतिविधियों का संबंध है, इसमें चार प्राथमिकियों का उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं :–

(क) दिनांक 20 अक्तूबर, 2006 की पहली प्राथमिकी (पी एस तिलियामूरा) में दो टी एस आर कार्मिक मारे गए तथा एक घायल हो गया। उग्रवादी 180 राउन्ड गोलाबारूद सहित दो एके-47 राइफलें भी ले गए।

(ख) दिनांक 6 मार्च, 2007 की दूसरी प्राथमिकी (पुलिस स्टेशन चम्पाहूर) में ए टी टी एफ के उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 2 टी एस आर कार्मिक मारे गए जबकि दो अन्य घायल हो गए। उग्रवादियों ने टी एस आर कार्मिकों की 2 एके-47 राइफलें भी लूट लीं।

(ग) दिनांक 11 मई, 2007 की तीसरी प्राथमिकी (पुलिस स्टेशन सिंघाई) में एटीटी एफ के उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में असम राइफल्स के एक राइफल मैन की मौत हो गई।

(घ) दिनांक 5 अगस्त, 2007 की चौथी प्राथमिकी (पुलिस स्टेशन खोवई) में एटीटी एफ के उग्रवादियों ने एक ही परिवार के तीन आदिवासियों की हत्या कर दी।

26. इन प्राथमिकियों की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 18 मार्च, 2008 के आवेदन-पत्र के साथ दाखिल कर दी गई हैं।

27. केन्द्र सरकार ने सीलबन्द कवर में कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए हैं जो आर एवं ए डब्ल्यू, आसूचना ब्यूरो, महानिदेशक, के.रि.पु.ब. महानिदेशक, सी.सु.ब. रक्षा मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार से प्राप्त रिपोर्टें हैं। इन दस्तावेजों का अवलोकन करने पर केन्द्र सरकार के मामले का समर्थन करते हैं। इन दस्तावेजों के ब्यौरों पर स्पष्ट कारणों से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। यह कहना पर्याप्त है कि वे दस्तावेज निम्नलिखित का सुझाव देते हैं :–

(क) दोनों संघों की हिंसक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है और यह कि इनके कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के सुरक्षा बल अत्याधिक सतर्क रहने हैं।

(ख) दोनों संघों की अलगाववादी गतिविधियां जारी हैं तथा त्रिपुरा को शेष भारत से अलग करने एवं एक पृथक 'देश' बनाने की उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि एन एल एफ टी प्रारंभ से ही एक अलग देश की मांग करता रहा है, ए टी टी एफ की अलगाववादी गतिविधियां, इसकी राजनीतिक विंग टीडीपी एफ के साथ जिसकी स्थापना 1997 को की गई थी, अधिक स्पष्ट हो गई है जो ''भारतीय अधिपय बलों'' के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा ''उपनिवेशी दासता'' से स्वतंत्रता की बात करती है।

(ग) एन एल एफ टी जनजातीय संगठन का समर्थन करता रहा है तथा यह राज्य में गैर-जनजातीय संगठनों के साथ सभी प्रकार के संबंधों का बहिष्कार करता है। एन एल एफ टी के काडर गैर-जनजातीय लोगों को निशाना बनाते हैं जो हाल ही में उनकी हिंसा के मुख्य लक्ष्य बन गए हैं।

(घ) ए टी टी एफ की प्रमुख मांगों में ये शामिल हैं :–

(i) 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए तथा उनको राज्य से बाहर निकाला जाए।

(ii) जनजातीय लोगों की अवैध रूप से हस्तांतरित सारी भूमि को पुनः जनजातीय लोगों को वापस लौटाया जाए तथा एक पृथक जनजातीय आरक्षित क्षेत्र का गठन किया जाए।

(ङ) एन एल एफ टी के पास उपलब्ध हथियारों में ए-के श्रृंखला की राइफलों, रॉकेट लाचारों तथा सुरगों/आई ई डी सहित 100 से भी अधिक स्वचलित हथियार शामिल हैं जबकि ए टी टी एफ के पास ए-के श्रृंखला की राइफलों, हथगोलों-रॉकेट लांचरों तथा

सुरंगों/आई ई डी सहित 200 से अधिक हथियार हैं । एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों ही हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप के.रि.पु.ब. कार्मिकों, नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, राज्य के प्रमुख को क्षीण किया जा रहा है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आम लोगों में आतंक, हिंसा तथा डर फैलाया जा रहा है। दोनों संघों के पास बड़ी संख्या में निषिद्ध शस्त्र तथा गोला-बारूद है और उन्होंने बचकर निकलने, प्रशिक्षण तथा शस्त्रों/गोलाबारूद के प्रापण के प्रयोजनार्थ पड़ोसी देश में शिविर स्थापित किए हैं तथा उनका रख-रखाव किया है।

(च) दोनों संघों ने त्रिपुरा को भारत से अलग करना ही अपना उद्देश्य घोषित किया है तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे सशस्त्र उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों संघ निधियों के संग्रहण हेतु सिविलियन जनता को भयभीत करने, जबरन धन वसूलने तथा लूटने में लगे हुए हैं और लोक मत को प्रभावित करने के लिए अन्य विरोधी संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास करते रहे हैं।

28. दिनांक 24 मार्च, 2008 के अतिरिक्त शपथ पत्र में केन्द्र सरकार ने दिनांक 3 अप्रैल, 1997, 3 अक्तूबर, 2001, 3 अक्तूबर, 2003 तथा 3 अक्तूबर, 2005 की पूर्व अधिसूचनाओं को रिकार्ड में प्रस्तुत किया है जिनमें एन एल एफ टी तथा एटीटी एफ को गैर-कानूनी संगमों के रूप में घोषित किया गया है।

29. इन सभी अधिसूचनाओं को अधिनियम के अंतर्गत गठित एक अधिकरण में भेजा गया था और पिछली तीन अधिसूचनाओं की पुष्टि करते हुए अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए थे। यह इस पृष्ठ भूमि में है कि दिनांक 3 अक्तूबर, 2007 की वर्तमान अधिसूचना जारी कर दी गई है।

30. केन्द्र सरकार ने यह बताया है कि इसने आर एवं ए डब्ल्यू, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय और त्रिपुरा राज्य सरकार से भी प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अपनी राय बनाई है।

31. शपथ-पत्र के साथ, केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी दिनांक 1 अगस्त, 2007 के पत्र को अनुलग्नक 'ज' के रूप में दाखिल किया है जिसमें यह कहा गया है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों को गैर-कानूनी संगम घोषित किया जाए और निम्नलिखित आधार पर अगले दो वर्षों की अवधि के लिए इन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए :-

"(i) कि दोनों गुट त्रिपुरा की तथाकथित स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करने में अपनी गतिविधियों को अन्जाम दे रहे हैं।

(ii) वे 15 अक्तूबर, 1949 को हुए भारतीय संघ के साथ त्रिपुरा के विलय संबंधी करार का विरोध करते हैं तथा उसको काला दिवस की संज्ञा देते हैं। वे किसी विवाद के निराकरण के लिए भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करते।

(iii) वे नागरिकों के प्रति हिंसा में लगातार संलिप्त रहे हैं।

(iv) परिष्कृत हथियारों के साथ उनका आंदोलन तथा फिरौती के लिए नागरिकों का अपहरण करने संबंधी वारदातें अभी तक जारी हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास संबंधी प्रयास बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

(v) वे तथाकथित टैक्स लगाकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई त्रिपुरा सरकार की पूर्ण अवहेलना करते हुए एक समानान्तर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं।

(vi) बंगलादेश में इन उग्रवादियों के अपने शिविर हैं तथा आसूचनाइनपुट के अनुसार बंगलादेश में भारत-विरोधी तत्वों के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं।

(vii) वे जबरन धन वसूली को बढ़ाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने तथा पिछले अवसरों की तरह राजनीतिक सत्ता को हथियाने की योजना बना रहे हैं।

32. दिनांक 1 अगस्त, 2007 के पत्र के साथ बहुत से अनुलग्नकों सहित पुलिस महानिरीक्षक (अधिसूचना), पुलिस अधीक्षक (सी आई डी) की ओर से रिपोर्टें भी भेजी गई हैं ।

33. पुलिस अधीक्षक (सी आई डी) द्वारा भेजे गए दस्तावेजों में एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों के संविधान है जिनमें यह कहा गया है कि भारत संघ से त्रिपुरा को अलग करने का समर्थन करना उनका ध्येय है। इन संघों के पास विदेशों से मंगवाए भारी संख्या में परिष्कृत हथियारों तथा यंत्रों से सुसज्जित एक व्यवस्थित सेना की पद्धति पर, धर्म-तंत्रीय संगठन के साथ अलग सशस्त्र स्कंध हैं। (अनुलग्नक क और ख)

34. यह उल्लेख है कि पिछले गणतंत्र दिवस (2007) के दौरान जनता को राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने से रोकने के उद्देश्य से एटीटीएफ और एन एल एफ टी दोनों ने बहिष्कार का आह्वान किया और त्रिपुरा के अंदरूनी भागों में काले झण्डे दिखाए। इन दोनों संगठनों से सम्बद्ध अलगाववादियों ने बंगलादेश में अपने बेस कैंप बना लिए हैं जहां से ये त्रिपुरा के अन्दर अपने अभियानों को चला रहे हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि एनएलएफटी के बंगलादेश के विभिन्न स्थानों पर 13 शिविर हैं जबकि एटीटीएफ के बंगलादेश में 12 शिविर हैं वे संगठन विदेशी एजेंसियों के साथ-साथ भूमिगत संगठनों की सहायता से हथियार एकत्र कर रहे हैं। और आम जनता से कर के रूप में जबरन धन वसूली कर रहे हैं। (अनुलग्नक ढ़ एवं ण)।

35. इन दो संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पूर्ववर्ती आदेशों के बावजूद, इन्होंने 2006 के ग्राम परिषद् चुनाव जैसे चुनावों को बहिष्कार करने का आह्वान किया। वे 2005 में 115 उग्रवादी संबंधी मामलों, जिनमें 11 सुरक्षा कार्मिक सहित 41 व्यक्ति मारे गए और 8 सुरक्षा कार्मिक सहित 82 व्यक्ति घायल हुए, में शामिल थे। इसके अलावा 62 व्यक्तियों का अपहरण हुआ और एनएलएफटी और एटीटीएफ अलगाववादियों एवं सुरक्षा बलों

के बीच कुल 53 मुठभेड़ें/झड़पें हुई जिनमें 23 उग्रवादी मारे गए और 61 को गिरफ्तार कर लिया गया।

36. वर्ष 2006 में अग्रवाद से संबंधित कुल 102 मामलों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें 14 सुरक्षा कार्मिकों सहित 27 व्यक्ति मारे गए और 27 सुरक्षा कार्मिकों सहित अन्य 39 घायल हुए। कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों का अपहरण हुआ और दोनों संगठनों एवं सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़/झड़प की 57 घटनाएं हुई जिनमें 27 उग्रवादी मारे गए और 67 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए।

37. वर्ष 2007 (30 जून, 2007 तक) में त्रिपुरा राज्य में उग्रवाद से संबंधित कुल 57 मामलों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें 7 नागरिक और 5 सुरक्षा कार्मिक मारे गए और 2 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 4 व्यक्ति घायल हुए। इन दोनों संगठनों से सम्बद्ध उग्रवादियों ने फिरौती के लिए 28 आम नागरिकों का अपहरण कर लिया। वर्ष के दौरान 10 उग्रवादी मारे गए और 27 गिरफ्तार किए गए।

38. हिंसा के कुल विशेष पहलुओं का संक्षिप्त विवरण देते हुए पुलिस अधीक्षक ने निम्नानुसार उल्लेख किया :-

"(i) एनएलएफटी/एटीटीएफ द्वारा राज्य में विशेषकर आदिवासी बाहुल्य अंदरूनी क्षेत्रों में सभी विकास संबंधी कार्यों को अवरुद्ध करने और अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए हताशापूर्ण कार्रवाई की गई।

(ii) एनएलएफटी/एटीटीएफ के सदस्य अभी भी यहां तक कि महिलाओं और अन्य दुर्बल लक्ष्यों के प्रति अपनी कार्रवाई में काफी बेरहम रहते हैं।

(iii) राज्य की जीवन-रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हमला, सड़क/सीमा पर बाड़ लगाए जाने, स्थलों पर मजदूरों की हत्या/अपहरण केवल राज्य में विकास को रोकने हेतु उनकी कोशिश को सिद्ध करता है।

पत्र में आगे यह बताया जाता है कि 31 मार्च, 2007 को टीपीडीएफ के अध्यक्ष रंजीत देबबर्मा के एक विशेष आनलाइन साक्षात्कार को त्रिपुरा न्यूज सी ओ. यू के नामक एक बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया जिसमें उसने त्रिपुरा की जनता की प्रभुसत्ता संबंधी स्वतंत्रता की पुनः बहाली हेतु एक सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता को उचित ठहराया। रंजीत देबबर्मा ने दावा किया कि उनका संघर्ष भारतीय औपनिवेशिक कब्जे से स्वयं को स्वतंत्र करने हेतु एक सच्चा राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष है। उसने यह दोहराया कि एटीटीएफ और एनएलएफटी दो अलग-अलग संगठन हैं परन्तु उनका प्रमुख लक्ष्य समान और एक ही है और वह है त्रिपुरा प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्रता की पुनः बहाली (अनुलग्नक ट)

40. पत्र के साथ-साथ काफी मात्रा में अनुलग्नक संलग्न किए गए हैं हालांकि पत्र में उनका उल्लेख नहीं है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों से मांगे गए कर संबंधी नोटिस शामिल हैं। ये नोटिस, एनएलएफटी के नेतृत्व वाली त्रिपुरा राजशाही सरकार द्वारा जारी किए गए हैं (अनुलग्नक ग)। इसमें एटीटीएफ द्वारा निर्मित "सातोकज़ाक बोसांग" (दमित राष्ट्र) नामक एक फिल्म की सीडी भी है जो कि अंग्रेजी सहित स्थानीय भाषा दोनों में है (अनुलग्नक छ एवं ज)। एटीटीएफ द्वारा निर्मित याकमालामा (जीवित रहने का रास्ता) नामक एक अन्य फिल्म का सीडी भी है तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। (अनुलग्नक झ और ञ)। "आत्मसमर्पण करने वाले एटीटीएफ और एनएलएफटी (बी एम.) के उग्रवादियों की हाल ही में हुई पूछताछ रिपोर्ट के आधार पर बंगलादेश के अन्दर विद्यमान शिविरों की सूची/अनुमानित संख्या/आग्नेयास्त्र/अभियानों/छिपने के ठिकानों के संबंध में एनपूट्स" नामक दस्तावेज भी अनुलग्नक ढ के रूप में संलग्न है। इससे दोनों संगठनों के सभी शिविरों के सामान्य स्थलों सहित उनके नेताओं और काडरों की सूची उपलब्ध होती है (अनुलग्नक ढ एवं ण)। एक सी डी जिसमें आत्म समर्पण करने वाले एटीटीएफ उग्रवादियों की पूछताछ रिपोर्ट है, को अनुलग्नक द के रूप में और अग्रवाद से संबंधित मामलों से जुड़े काफी संख्या में प्रथम सूचना रिपोर्टों को अनुलग्नक ध के रूप में दायर किया गया है।

41. इस शपथ पत्र को समग्र रूप से देखने से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि दोनों संगठन उन विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त हैं जो देश की अखण्डता को भंग करती है और निश्चित रूप से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती है।

42. त्रिपुरा राज्य ने भी घोषणा के समर्थन में स्वतंत्र रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

43. जहां तक एनएलएफटी और एटीटीएफ के उन विद्रोही, हिंसक और विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का संबंध है जो केन्द्र सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाते हैं और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों के बीच हिंसा फैलाते हैं, एनएलएफटी और एटीटीएफ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आधार बनाया गया है।

44. एनएलएफटी के संविधान की प्रस्तावना तथा संविधान से यह प्रतीत होता है कि उसे एनएलएफटी के केन्द्रीय समिति द्वारा 15 नवम्बर, 1994 को अपनाया गया। इसे चिह्न "क" के रूप में इंगित किया गया है।

(क) संविधान की प्रस्तावना में त्रिपुरा में एनएलएफटी के विद्रोह अभियान का आधार निहित है। इसके साथ ही साथ यह उल्लेख किया गया है कि देशी लोग जिन्हें बोरोक नाम से जाना जाता है, विदेशी नागरिकों के लगातार आने से हाशिए पर चले गए हैं और भारत के धमकीपूर्ण दुराग्रह सम्राज्यवाद के कारण देशी लोगों का शोषण, सताया और दमन किया जा रहा है। इससे देशी लोगों की भाषा, रीति-रिवाजों और धर्मों को खतरा है और सांस्कृतिक जातीयसंहार किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया कि भारत सरकार ने सशस्त्र बल अधिनियम, 1958, आतंकवाद एवं विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कठोर कानून त्रिपुरा के देशी बोरोक लोगों पर

थोपे गए हैं जिससे विद्रोह को कुचला जा सके। यह आरोप लगाया गया कि यह औपनिवेशिक भारत द्वारा अपने मातृभूमि से देशी लोगों को हटाने के लिए अपनायी जाने वाली सामान्य प्रथा है। यह उल्लेख किया गया कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रवादी बोरोक युवा 12 मार्च, 1989 को गोंडा टवीसा में एकत्रित हुए और एनएलएफटी और इसके सशस्त्र विंग अर्थात् बोरोक आर्मी का गठन 11 दिसम्बर, 1991 को कर दिया।

(ख) प्रस्तावना के अनुसार एनएलएफटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में त्रिपुरा की सभ्यता की एक अलग और स्वतंत्र पहचान के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से 'देश' के साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और नव-औपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकना, बोराकलैंड त्रिपुरा को स्वतंत्र करना और लोगों की गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, बारोक राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक शोषण, दमन, कुचले जाने और नव-औपनिवेशवाद से मुक्त कराना और लोगों के पारंपरिक देशी संस्कृति और धारणाओं को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमीनारों में अपने पर्यवेक्षक अथवा प्रतिभागियों का भेजना आदि शामिल हैं । इसके ही आधार पर बोरोक लोगों के संविधान को तैयार किया गया है और दिनांक 15 नवम्बर, 1994 को केन्द्रीय कार्यकारी बैठक में अनुमोदन किया गया है ।

45. एनएलएफटी के संविधान में यह उल्लेख है कि बोरोक सभ्यता की एक अलग और स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए बोराकलैंड त्विपुरा को मुक्त कराने और विचार अभिव्यक्ति, धारणा मत और धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु एक क्रांतिकारी संगठन गठित किए जाने के लिए कृत संकल्प हैं । तत्पश्चात् त्रिपुरा के बोरोक लोगों के संप्रतीक और राजभाषा का वर्णन किया गया है। संविधान का अध्याय II एनएलएफटी की सदस्यता से संबंधित है वहीं अध्याय III का संबंध एनएलएफटी के सदस्यों के अधिकारों, ड्यूटी और दायित्वों से है । संविधान का अध्याय IV, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, न्यायिक सचिव जैसे पद शामिल हैं, से संबंधित हैं विभिन्न प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख संविधान के अध्याय 5 में किया गया है एनएलएफटी के कार्य-क्षेत्र का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 (अध्याय VI) में किया गया है जिसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नेफा (अरूणाचल) और सिक्किम का एकीकृत राज्य शामिल है।

46. इसी प्रकार से एटीटीएफ के संविधान को रिकार्ड में रखवा गया है और इसे चिह्न 'ख' के रूप में इंगित किया गया है । एटीटीएफ की मंशा और उद्देश्य भारत के संविधान के तहत जनजातियों के लिए 19 बिन्दुओं वाले लाभ रखे जाने के संबंध में बिना किसी समझौते के एक सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी सारी शक्तियों को एकजुट करना है । एटीटीएफ यह कहता कि वह भारतीय संसद में स्वीकार किए गए सभी निर्णयों को पूरा करने और इसे लागू करवाने हेतु संघर्ष करेगा । पूर्वोत्तर के सात राज्य अर्थात् त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय को मिलाकर एक अलग देश बनेगा और इसके लिए एटीटीएफ सभी तरह के आंदोलनों को सहायता देगा और इस उद्देश्य हेतु अपने बल का भी इस्तेमाल करेगा। एटीटीएफ, जनजातियों को कुचले जाने, प्रताड़ित और दमन किए जाने के विरूद्ध और उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा। एटीटीएफ के संविधान का अनुच्छेद 5 कानून और व्यवस्था से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 6 का संबंध अनुशासन और प्रतिबंधों से है। अनुच्छेद 8 का संबंध जन संपर्क से है वहीं अनुच्छेद 11, अंशदान और सदस्यता शुल्क संग्रहण प्रक्रिया से संबंधित है । अनुच्छेद 12, एटीटीएफ के ढांचे से संबंधित है और अध्यक्ष से मेजर तक के सभी व्यक्ति केन्द्रीय समिति के सदस्य होंगे। एटीटीएफ की दो रेजीमेंट होंगी जिनमें एक का नाम वीर बिक्रम रेजीमेंट है और दूसरी बोरोक रेजीमेंट नाम से जानी जाती है संगठन के ढांचे का उल्लेख किया गया है । एटीटीएफ का कमांडर-इन-चीफ, बल के सभी बसों और रेजीमेंटों को नियंत्रित करेगा । एटीटीएफ का अपना झंडा और चिह्न है ।

47. उपर्युक्त दस्तावेज यह स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एनएलएफटी और एटीटीएफ दोनों की मंशा एक पृथक देश स्थापित करने की है और दोनों में से कोई भी भारत के संविधान के अंतर्गत स्वयं का होना स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि एटीटीएफ भारत के संविधान के कतिपय सिद्धांतों से सहमत है जिसे वह स्वयं के संविधान के माध्यम से लागू करना चाहता है। यह स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ एक अलगाववादी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं और भारत के पूर्वोत्तर के भारत का अंग नहीं स्वीकार करते हैं अथवा कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों को एक पृथक राष्ट्र में गठित करने की आशा रखते हैं। इस प्रकार ये दो संगठन विधिविरुद्ध क्रिया में संलिप्त हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 2(ण)(i) में परिभाषित है।

48. अपने उद्देश्यों के अनुसरण में इन दोनों संगठनों ने त्रिपुरा राजशाही सरकार की स्थापना कर ली है। ये न्यायाधिकरण दस्तावेजों के रिकार्ड पर है जिसे चिह्न घ, च और छ के रूप में इंगित किया गया है। ये वे नोटिस है जिसे त्रिपुरा राजशाही सरकार ने कुछ करों के भुगतान की मांग करने के संबंध में जारी किए हैं। इन नोटिसों पर जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं । वह त्रिपुरा किंगडम सरकार के राजस्व व कर विभाग का सचिव होने का दावा करता है। इन दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ द्वारा भारत के कानून से परे वित्त एकत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और एक प्रकार की समानांतर सरकार चलाने के लिए वित्तपोषण का संकेत भी स्पष्ट है। मार्क ग और ड़ दस्तावेज केन्द्रीय सरकार या त्रिपुरा राज्य के मामले की पेशगी नहीं करते।

49. इस मामले के समर्थन में, कि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों के बीच हिंसा

व आतंक फैला रहे हैं तथा हिंसक व गैर-कानूनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, त्रिपुरा राज्य ने 'मार्क ङ' चार्ट दाखिल किया है। यह चार्ट 3 अक्तूबर, 2005 अगस्त, 2007 तक अगुवा/अपहृत, घायल व मारे गए व्यक्तियों की संख्या तथा घायल व मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या को दर्शाता है। मार्क ड़ इस प्रकार है :–

शीर्ष	2005 3-10-05 से	2006	2007 अगस्त, 07 तक	कुल
अपहृत व्यक्ति	10	43	41	94
घायल व्यक्ति	9	12	3	24
मारे गए व्यक्ति	8	13	11	32
मारे गए सुरक्षाकर्मी	5	14	7	26
घायल सुरक्षाकर्मी	2	27	3	32

50. त्रिपुरा राज्य ने एनएलएफटी तथा एटीटीएफ द्वारा नागरिकों तथा पुलिस व सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या, अगवा, अपहरण व फिरौती की मांग के मामलों के संबंध में प्राथमिकी (एफआईआर) की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। राज्य द्वारा मूल प्रतियों की सत्यापित व कार्बन प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं तथा ये प्रतियां प्रदर्शित की गई हैं।

(i) प्रदर्श-1, बीरगंज पुलिस स्टेशन में 15 नवम्बर, 2005 को दर्ज एफआईआर है जिसमें दर्ज है कि शिकायतकर्ता के घर में असम रायफल्स की वर्दी पहने हुए 10 या 12 अज्ञात हथियारबंद उग्रवादी, जिसके पास ए के 47 राइफलें थीं, घुस गए तथा 100 या 150 राउंड अंधाधुंध गोलियां चलाई। शिकायतकर्ता के अनुसार इस हमले में उसकी पत्नी व सास मारी गई तथा उसकी बेटी गोलियों से घायल हो गई। बाद में, शिकायतकर्ता को पता चला कि उसके पड़ोस के घर में रहने वाली एक महिला उग्रवादियों द्वारा मारी गई।

(ii) प्रदर्श न. 2 जिरानिया पुलिस स्टेशन में 16 अक्तूबर, 2005 को दर्ज एफ आई आर है। शिकायतकर्ता के अनुसार लगभग एटीटीएफ के 3-4 अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने गोलियां चलाई उसके ब्रदर-इन-लॉ को मार दिया।

(iii) प्रदर्श न-3 अम्बासा पुलिस स्टेशन में 30 अक्तूबर, 2005 को दर्ज एफआईआर है। इसमें कहा गया है कि लगभग 20-25 अज्ञात हथियारबंद उग्रवादी, संभवत: एनएलएफटी के, शिकायतकर्ता के घर में घुसे तथा अंधाधुंध गोलियां चालाई, शिकायतकर्ता की बहन व पिता को चोटें आईं जिससे ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अन्य लोगों को भी चोटें आई तथा उग्रवादियों ने एक व्यक्ति को अगुवा कर लिया। उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे।

(iv) प्रदर्श न-4 किल्ला पुलिस स्टेशन में 8 नवम्बर, 2005 को दर्ज एफआईआर है जहां कुछ अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाई तथा बाद में जंगलों में भाग लिया।

(v) प्रदर्श न-5 चम्पाहवर पुलिस स्टेशन में 14 नवम्बर, 2005 को दर्ज एफआईआर है। कुछ 10-12 एनएलएफटी उग्रवादियों ने जिनके पास भारी हथियार थे, एक एसरकारी एमबुश पार्टी पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में एक एनएलएफटी उग्रवादी मारा गया तथा एक ए के. 66 राइफल व कुछ जिन्दा मैग्जीन व राउंड बरामद हुए।

(vi) प्रदर्श न-6 सलेमा पुलिस स्टेशन में 16 नवम्बर, 2005 को दर्ज एफ आई आर है जो 20 अथवा 25 हथियारबंद उग्रवादियों के हमले से संबंधित है। इन उग्रवादियों ने शिकायतकर्ता को संगठन के लिए चन्दा उगाही के लिए चंदा नोटिस दिया था। शिकायतकर्ता के पिता को उग्रवादियों द्वारा अगुवा कर लिया गया।

(vii) प्रदर्श न-7 गंडाचेरा पुलिस स्टेशन ने दिनांक (अपाठ्य) को दर्ज एफआईआर है जो एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई पैसा वसूली की धमकियों से संबंधित है तथा यह तथ्य कि एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा बंदूक की नोक पर शिकायतकर्ता की मां का अपहरण कर लिया गया।

(viii) प्रदर्श न-8 तायडू पुलिस स्टेशन में 9 नवम्बर, 2006 को दर्ज एफआईआर है जो सेवा की वर्दी पहने हुए हथियारबंद उग्रवादियों के समूह द्वारा ग्रामवासियों पर हमले के बारे में बताती है। उग्रवादियों ने गांव में दस घरों को आग लगा दी जिससे उनमें रखा सभी घरेलू सामान जैसे धान, कपड़े इत्यादि नष्ट हो गए थे।

(ix) प्रदर्शन-9 तेलीमुरा पुलिस स्टेशन में 14 फरवरी, 2006 को दर्ज एफआईआर है। शिकायतकर्ता के अनुसार, हथियारबंद उग्रवादियों के समूह ने गेल के कुछ कर्मचारियों पर हमला किया जिससे उनमें से दो की अस्पताल में मौत हो गई।

(x) प्रदर्श नं.-10 अम्बाला पुलिस स्टेशन में 9 सितम्बर, 2006 को दर्ज एफआईआर है जो हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा शिकायतकर्ता के बेटे के अगवा करने से संबंधित है। उग्रवादियों ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि वे फिरौती की वसूली के बिना उके बेटे को नहीं छोड़ेंगे।

(xi) प्रदर्श नं.-11 कंचनपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर है जिसके अनुसार भी एनएलएफटी के उग्रवादियों ने एक अपहृत व्यक्ति की रिहाई के लिए 2 लाख रुपए फिरौती की मांग की।

(xii) प्रदर्श नं.-12 गण्डचेरा पुलिस स्टेशन में 17 नवम्बर, 2006 को उग्रवादियों द्वारा दो व्यक्तियों के अपहरण से संबंधित दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

(xiii) प्रदर्श नं.-13 गंगानगर पुलिस स्टेशन में 24 अक्तूबर, 2006 को दर्ज एफआईआर से संबंधित हैं, जहां हथियारबंद एनएलएफटी उग्रवादियों ने दो ए.के. 47 राइफलों से गोलीबारी की जिससे दो पुलिसकर्मियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

(xiv) प्रदर्श नं.-14 सिघई पुलिस स्टेशन में 12 फरवरी, 2006 को दर्ज एफआईआर है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि एटीटीएफ उग्रवादियों ने असम राइफल्स के एक हवलदार को गोली से घायल कर दिया। उग्रवादियों ने पुलिस बल पर ग्रेनेड भी फेंके जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

(xv) प्रदर्श नं.-15 कमालपुर पुलिस स्टेशन में 22 नवम्बर, 2006 को दर्ज एफआईआर है जो एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी तथा एक ए.के. 47 राइफल, एक एस एल आर तथा उग्रवादियों से संबंधित विविध सामग्री ही बरामदगी से संबंधित है।

(xvi) प्रदर्श नं.-16 अम्बाला पुलिस स्टेशन में 7 अगस्त, 2006 को दर्ज एफआईआर है। शिकायकर्ता के अनुसार एनएलएफटी उग्रवादियों ने लगभग 150 राउंड गोलियां चलाई जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए।

(xvii) प्रदर्श नं.-17 चम्पाहवर पुलिस स्टेशन में 13 अक्तूबर, 2006 को दर्ज एफआईआर है। इस एफ आई आर में एनएलएफटी उग्रवादियों के नाम लिए गए हैं तथा बताया गया है कि उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस दल पर हमला किया और पुलिस दल एवं एनएलएफटी उग्रवादियों के बीच आपस में गोलीबारी हुई।

(xviii) प्रदर्श नं.-18 किल्ला पुलिस स्टेशन में 5 दिसम्बर, 2006 को दर्ज एफआईआर है। यह भी अत्याधुनिक हथियारों से युक्त एनएलएफटी के कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच आपस में गोलाबारी से संबंधित है। इस गोलाबारी में एक कार्यकर्ता मारा गया तथा एक हथगोला, कुछ चन्दा उगाही के नोटिस, पेंड एवं एन एल एफ टी का घोषणा पत्र बरामद हुए।

(xix) प्रदर्श नं.-19 कंचनपुर पुलिस स्टेशन में 26 जुलाई, 2006 को दर्द एफआईआर है। यह एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा गोलाबारी तथा एक अवैध स्वदेश निर्मित बन्दूक, एक ए. के. 47 राइफल, जिन्दा कारतूस तथा अन्य अभिशंसी वस्तुओं के साथ दो उग्रवादियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। घटनास्थल की पड़ताल से पता लगा कि एनएनएफटी समूह ने सुरक्षा बल पर हमला करने तथा उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले स्थानीय लोगों से जबरन चंदा वसूली के आपराधिक षडयंत्र रचे थे।

(xx) प्रदर्श नं.-20 और नं. 21 गंगानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफ आई आर है। पहली एफआईआर 21 सितम्बर, 2006 की है और एनएलएफटी उग्रवादियों के हमले तथा एनएलएफटी के झण्डे, राइफलों, कारतूसों के साथ-साथ कुछ बंगलादेशी मुद्रा की बरामदगी से संबंधित है। दूसरी एफआईआर 10 जुलाई, 2006 की है तथा पुलिस दल व उग्रवादियों की बीच गोलीबारी, जिसके परिणामस्वरूप की मौत के बारे में है।

(xxi) प्रदर्श नं.-22 सिघई पुलिस स्टेशन में दिनांक 25 फरवरी, 2006 को दर्ज एफआईआर है और इसमें यह उल्लेख है कि कुछ अज्ञात आतंगवादियों ने घात लगाकर हमला करने वाले दलों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक जवान घायल हो गया तथा बाद में घावों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

(xxii) प्रदर्श नं.-23 कंचनपुर पुलिस स्टेशन में 6 अगस्त, 2006 को दर्ज एफआईआर है और सुरक्षा बलों के सदस्यों को मारने के इरादे से एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों से किए गए हमले से संबंधित है।

(xxiii) प्रदर्श नं.-24 गंगानगर पुलिस स्टेशन में 29 अप्रैल, 2006 को दर्ज एफआईआर है और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल कार्मिकों के कानवाई पर हमले के बारे में है। हथियारबंद उग्रवादियों के हमले से तीन पुलिस कार्मिकों की मृत्यु हो गई तथा उनमें से कई घायल हो गए।

(xxiv) प्रदर्श नं.-25 चम्पाहवर पुलिस स्टेशन में 3 जुलाई, 2007 को दर्ज एफ आई आर है। यह आरोप लगाया गया है कि अत्याधुनिक हथियारयुक्त आठ एटीटीएफ उग्रवादियों ने दो व्यक्तियों पर हमला किया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

(xxv) प्रदर्श नं.-26 चम्पाहवर पुलिस स्टेशन में 31 अगस्त, 2007 को दर्ज एफ आई आर है जो एनएलएफटी कार्यकताओं द्वारा बंदूक की नोक पर शिकायतकर्ता के पति का फिरौती के लिए

अपहरण से संबंधित है।

(xxvi) प्रदर्श नं. 27 कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में 6 मई, 2007 को एनएलएफटी के हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा एक नागरिक के अपहरण तथा गांववासियों से चन्दे की मांग से संबंधित एफ आई आर है।

(xxvii) प्रदर्श नं.-28 अम्बासा पुलिस स्टेशन में 27 जून, 2007 को दर्ज एफ आई आर है जहां असम राइफल्स की वर्दी पहने एन एल एफ टी उग्रवादियों ने शिकायतकर्ता के पति को बन्दूक की नोक पर अपने साथ चलने को कहा तथा उसका अपहरण कर लिया।

(xxviii) प्रदर्श नं.-29 खोवाई पुलिस स्टेशन में 6 अगस्त, 2007 को दर्ज एफ आई आर है, जो 10 अथवा 12 हथियारबन्द एटीटीएफ उग्रवादियों द्वारा शिकायतकर्ता से संबंधित तीन नागरिकों की हत्या से संबंधित है।

(xxix) प्रदर्श नं.-30 कंचनपुर पुलिस स्टेशन में 3 मई, 2007 को दर्ज एफआईआर है। इसका संबंध एनएलएफटी के उग्रवादियों द्वारा जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, तीन लड़कों के अपहरण से है।

(xxx) प्रदर्श नं.-31 चम्पाहवर पुलिस स्टेशन में 11 अगस्त, 2007 को दर्ज एफ आई आर है जहां उग्रवादियों द्वारा बंदूक की नोक पर शिकायतकर्ता के बड़े भाई का अपहरण कर लिया गया। उग्रवादियों ने नकदी व स्वर्ण आभूषण भी छीन लिए तथा शिकायतकर्ता के बड़े भाई को छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की।

(xxxi) प्रदर्श नं.-32 रैयशबड़ी पुलिस स्टेशन में 6 जून, 2007 को दर्ज एफ आई आर है। इसमें कहा गया है कि कुछ हथियारबंद उग्रवादियों ने पुलिस दल पर हमला किया जिससे एक सीमा सुरक्षा बल सिपाही की मौत हो गई। उग्रवादियों के जाने के बाद, घटनास्थल से एक हथगोले सहित कुछ हथियार बरामद हुए।

(xxxii) प्रदर्श नं.-33 चम्पाहवर पुलिस स्टेशन में 16 जनवरी, 2007 को दर्ज एफ आई आर है जो एन एल एफ टी के सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा पुलिस कार्मिकों पर हमले से आई चोटों से संबंधित है। वहां से एन एल एफ टी के चन्दा नोटिस भी बरामद किए गए।

51. पूरे त्रिपुरा राज्य के पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टें यह दर्शाती है कि पिछले कुछ समय से एनएलएफटी के और एटीटीएफ के उग्रवादियों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से पुलिस बलों के कार्मिकों और सामान्य जनों की अंधाधुंध हत्या किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही थीं। अपहरण करने तथा व्यपहरण करने की कई घटनाएं और फिरौती मांगने और चंदा देने की मांग हुई है। यह कहना निरर्थक होगा कि वे सभी गतिविधियां सामूहिक रूप से दर्शाती हैं कि एनएलएफटी और एटीटीएफ उग्रवादी न सिर्फ विध्वंसक गतिविधियां कर रहे थे बल्कि स्थानीय निवासियों में हिंसा द्वारा भय पैदा करना चाह रहे थे। एनएलएफटी और एटी एफ उग्रवादियों की ओर से योजनाबद्ध प्रयासों द्वारा कानून को ध्वस्त कर देना था और उनकी गतिविधियां स्पष्टत: विधिविरुद्ध गतिविधियों की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। जैसा कि विधिविरुद्ध (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(ण) में वर्णित है।

52. त्रिपुरा राज्य द्वारा रिकार्ड पर लाई गई सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों, इनमें से किसी का भी खंडन नहीं किया जा सकता है, इस बात की साक्षी है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ के द्वारा अंधाधुंध रूप से जबरन धन वसूली की जा रही है।

53. त्रिपुरा में आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच झगड़े को पैदा करने और बढ़ावा देने के मुद्दे के बारे में प्रदर्श नं.-32 के संबंध में त्रिपुरा राज्य के काबिल वकील पर भरोसा किया गया था, जो दिनांक 6 जून, 2007 को थाना रायश्याबाड़ी में दर्ज प्राथमिकी है जिससे यह पता चलता है कि बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए थे। तथापि, इस एफ आई आर में सांप्रदायिक दंगों को करवाने अथवा उकसाने का कोई आरोप नहीं है। किन्तु रिकॉर्ड में त्रिपुरा राज्य द्वारा दायर किए गए ऐसे कतिपय दस्तावेज हैं जो मार्क ज, झ एवं ञ के रूप में चिह्नित हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि एनएलएफटी एवं एटीटीएफ के उग्रवादियों ने त्रिपुरा में आदिवासी एवं गैर-आदिवासी समुदायों के बीच में शत्रुतापूर्ण अंतर खड़ा कर दिया है।

54. मार्क ज, एनएलएफटी द्वारा त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार के लिए जारी किया गया आह्वान है। इस दस्तावेज में विस्तार से यह बताया गया है कि भारत सरकार ने त्रिपुरा को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और सीमा पार से सैंकड़ों-हजारों हिन्दू बंगलियों को त्रिपुरा में आने और वहां बसने के लिए उत्साहित किया गया। इसके फलस्वरूप जनसांख्यिकीय स्वरूप बुरी तरह बिगड़ गया और इस कारण त्रिपुरा में कुल जनसंख्या में से केवल 30 प्रतिशत ही स्थानीय जनसंख्या है। दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिए गए थे किन्तु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इसके फलस्वरूप 1950 के दशक में भारतीय शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। इस दस्तावेज में यह आरोप लगाया गया है कि प्रादेशिक सरकार "बाहरी व्यक्तियों "एलियंस" एवं "भारतीयों" के अधीन है और यह सभी हिन्दू बंगाली अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर देती है और अवैध निवासियों के हाथों में शक्तियों का संस्थानीकरण है जो त्रिपुरा के स्थानीय लोगों बोरोक को अस्वीकार्य है। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से त्रिपुरा की स्थानीय जनता एवं बाहर से आई लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने का स्पष्ट आशय दिखाई देता है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि भारतीयों, विशेष रूप से हिन्दू बंगाली

अवैध निवासियों के लिए, जो अन्यथा त्रिपुरा में अवैध निवासी हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का हर कारण है किन्तु एनएलएफटी, जो त्रिपुरा की स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता की बहाली के लिए लड़ रहा है, के लिए इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का कोई कारण नहीं है। इसके बदले, बोरोक ने स्वतंत्रता दिवस, 2007 के समारोह से दूर रहने एवं उसका बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

55. मार्क झ बोरीक नेताओं के मेल-मिलाप एवं एकता बनाए रखने के लिए दिनांक 25 अगस्त, 2007 को जारी की गई एक अपील है। इस दस्तावेज में उल्लेख है कि बोरोक लोगों की गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बीच मेल-मिलाप एवं एकता है। यह दस्तावेज किसी भी तरीके से आदिवासियों एवं गैर-आदिवासियों के बीच साम्प्रदायिक झगड़ों को जन्म देने और उकसाने से संबंधित नहीं है।

56. तथापि, त्रिपुरा राज्य द्वारा रिकार्ड में दिया गया एक अन्य दस्तावेज, नामतः, एनएलएफटी द्वारा 15 अक्तूबर, 2007 को काला दिवस मनाने के बारे में दिनांक 27 सितम्बर, 2007 को जारी किया गया आह्वान रिकार्ड में दिया गया है। इस दस्तावेज में, जो मार्क ठ है, उन घटनाओं को दोहराया गया है जिनकी वजह से एनएलएफटी के अनुसार जनसंख्या का स्वरूप बुरी तरह बिगड़ गया है और जो त्रिपुरा के स्थानीय लोगों एवं देश के अन्य भागों के निवासियों में भेदभाव पैदा करने से संबंधित है।

57. इस संबंध में केन्द्र सरकार एवं त्रिपुरा राज्य द्वारा दिए गए साक्ष्य, एनएलएफटी अथवा एटीटीएफ द्वारा इन तथ्यों को न नकारने अथवा उनके द्वारा कोई विरोध न करने के कारण, त्रिपुरा रराज्य के विद्वान वकील का यह निवेदन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और यह फैसला दिया जाना चाहिए कि ये दस्तावेज आदिवासियों एवं गैर-आदिवासियों के बीच भेदभाव पैदा करने के एनएलएफटी एवं एटीटीएफ के आशय को अभिव्यक्त करते हैं, जो इस अधिनियम की धारा 2(ण) के अंतर्गत एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप है क्योंकि इसमें व्यक्तियों के एक समूह को भारतीय संघ से पृथक होने के लिए उकसाया गया है।

58. प्रदर्शन-ञ क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज है जिस पर त्रिपुरा राज्य के विद्वान वकील ने भरोसा नहीं किया।

59. रिकार्ड पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण से निःसंदेह यह उजागर होता है कि एनएलएफटी एवं एटीटीएफ के क्रियाकलाप विधिविरुद्ध हैं और यह कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय कि दोनों संगठन विध्वंसक एवं हिंसक गतिविधियों के संलग्न हैं, केन्द्र सरकार के प्राधिकार को कम कर रहे हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लोगों में भय और हिंसा का संचार कर रहे हैं, पूर्णतया न्यायोचित है। केन्द्र सरकार की यह राय भी न्यायोचित है कि सहायता जुटाने के लिए दोनों गुटों के अन्य विधिविरुद्ध गुटों के साथ संपर्क हैं और यह कि वे भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता के प्रतिकूल अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त हैं।

60. केन्द्र सरकार एवं त्रिपुरा राज्य दोनों ने इस निर्णय के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं कि दोनों गुट सिविलियनों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्याएं करने, त्रिपुरा में आम जनता से धन लूटने, सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्रों एवं गोलाबारूद का प्रापण करने में लिप्त हैं तथा त्रिपुरा में आदिवासी एवं गैर-आदिवासी समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगों को उकसा रहे हैं।

61. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस बात के भी पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए हैं कि दोनों गुटों ने अपने अलगाववादी, विध्वंसक एवं हिंसक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडर इकट्ठे किए हैं। उन्होंने भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के दुश्मन बलों के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया है। दोनों गुटों ने बार-बार अवैध शस्त्रों एवं गोलाबारूद के जरिए सिविलियनों, पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को हत्याएं की हैं। इन परिस्थितियों के तहत, केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3(1) तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत की गई घोषणा की अभिपुष्टि करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाए हैं।

62. परिणामस्वरूप, वह निष्कर्ष निकाला गया है कि 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना जारी किया जाना पूर्णतया न्यायोचित है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को दिनांक 3 अक्तूबर, 2.007 से दो वर्षों की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं।

31 मार्च, 2008

मदन बी. लोकुर, जे.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2008

S.O. 856(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order, dated 31-3-2008, of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Madan B. Lokur, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) organizations of Tripura as unlawful is published for general information.

[F. No. 11011/41/2007-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

BEFORE THE TRIBUNAL UNDER THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

In the Matter of :
National Liberation Front of Tripura
And in the Matter of :

All Tripura Tiger Force
And in the Matter of :
Reference under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

REPORT

1. On 3rd October, 2007, a notification being S.O. 1692(E), was issued by Mr. V.N. Gaur, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that the Central Government is of the opinion that the activities of the National Liberation Front of Tripura and its various wings (hereinafter referred to as the NLFT) and the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) are deterimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations. Consequently, in exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared the NLFT and the ATTF to be unlawful associations.

2. The Central Governemnt was also of the opinion that there is a need to immediately curb and control the activities of these two associations and, therefore, it was of the opinion that it is necessary to declare them as unlawful accociations with immediate effect, in exercise of powers conferred by Section 3(3) of the Act.

3. For the purposes of Section 3(1) of the Act, the Central Government was of the opition that the NLFT and the ATTF have :

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the United Liberation Front of Asom (ULFA) and Meitei Extremist Outfits of Manipur with the aim of mobilizing their support;

(iii) in pursuance of their aims and objectives in recent past engaged in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

4. In respect of the violent and unlawful activities, the Central Government included the following:

(a) Killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) Extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

(c) Establishing and maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc.;

(d) Causing and fomenting communal clashes between the Tribal and non-tribal communities in Tripura.

5. For the purposes of exercise of power under Section 3(3) of the Act, it was stated that, unless immediately curbed and controlled, the NLFT and the ATTF would take the opportunity to :

(i) mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive, and violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities.

Under these circumstances, and in exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Act, this Tribunal was constituted by a notification being S.O. 1851(E) dated 30th October, 2007 issued by Mr. Naveen Verma, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India. By virtue of Section 4(1) of the Act, the Tribunal is required to adjudicate whether or not, there is sufficient cause for the declaring the NLFT and the ATTF as unlawful associations within the meaning of that expression defined under Section 2(p) of the Act.

7. In support of its case, the Central Government made a reference to the Tribunal and submitted a resume regarding the aims, objects and violent activities of the NLFT and the ATTF.

8. On 6th November, 2007 notice was issued to the NLFT and the ATTF to show cause why the notification dated 3rd October, 2007 be not confirmed. It was directed that service be effected on the two associations by publication of the Gazette notification dated 3rd October, 2007 in local newspapers in English and in the regional language; by announcements in the electronic and print media; by affixation of the notice along with a copy of the Gazette notification at the last known addresses of both the associations as well as their principal office bearers; by displaying the notice along with a copy of the Gazette notification on the notice board in the office of the Deputy Commissioner/District Magistrates in all the four district headquarters of the State of Tripura, and by a proclamation by beat of drums as well as loudspeakers about the contents of the notice and the Gazette notification in all the four district headquarters of the State of Tripura and in other areas where the activities of both the associations are believed to be ordinarily carried on.

9. Pursuant to the order dated 6th November, 2007, the Stater of Tripura filed a supplementary affidavit dated 13th December, 2007 to the effect that service has been

effected on the associations by giving adequate publicity to the Gazette notification. The Central Government also filed an affidavit dated 13th December, 2007 to the effect that the two associations have been served in the prescribed modes.

10. Despite service, there was no appearance on behalf of either of the two associations. Accordingly, by an order dated 19th December, 2007 both the NLFT and the ATTF were proceeded against ex parte.

11. In support of their case for declaring the NLFT and the ATTF as unlawful associations, the State of Tripura filed an affidavit dated 13th December, 2007 and the Central Government filed an affidavit dated 2nd January, 2008. On 9th January, 2008 the State of Tripura and the Central Government tendered their respective affidavits in evidence. Additional evidence was also tendered by the State of Tripura. An additional affidavit dated 24th March, 2008 of Mr. R.R. Jha, Director in the Ministry of Home Affairs was also filed by the Central Government.

12. On 28th February, 2008, the State of Tripura produced certified copies as well as carbon copies of the documents sought to be relied upon and these have been marked as Mark A to L and Ext. T-1 to Ext. T-33.

13. In the affidavit of Mr. R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs dated 2nd January, 2008 filed on behalf of Central Government, it is stated that the NLFT was formed in June, 1989 and is presently led by Biswa Mohan Debbarma while the ATTF was formed in 1993 and is led by Ranjit Debbarma. The professed aim of both the organizations is to establish a separate country by secession of Tripura from the Indian Union in alliance with other secessionist organizations.

14. It is stated that the ATTF as well as its political wing, namely, the Tripura People Democratic Front (TPDF) has been observing a black day on October 15 in protest against the merger of Tripura into India and has also been boycotting Republic Day/Independence Day celebrations every year. Along with some other organizations, it has been criticizing "annexation" of Tripura to India as illegal.

15. It is stated that the leaders of the NLFT stay in camps in Bangladesh and frequently visit Tripura for carrying out their activities. The headquarters of the association is in Bangladesh and it has its hideouts and shelters in that country. Most of the violent incidents in Tripura have been planned and executed by the NLFT in Bangladesh and the abducted persons are also taken to that country.

16. Similarly, the ATTF also has training camps, hideouts and shelters in Bangladesh and maintains close links with other terrorist organizations of the north-east especially for the purpose of procurement of arms and training facilities. The ATTF has also been utilizing the territory of Bangladesh for committing violence in Tripura and for procuring arms.

17. It is stated in the affidavit that areas covered by 34 police stations in the State have been declared as disturbed areas by the State of Tripura under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958. But in spite of this, violence and extortion activities by both the organizations have continued.

18. It is stated that while violent incidents committed by the two organizations have shown a steep downward trend over the past several years, it is not due to any ideological change but is due to factors like growing demoralization and disenchantment amongst the leaders, desertion, a continuous shrinking of the support base amongst the tribals etc. including intensified action by security forces and counter insurgency action in remote and far flung areas. It is stated that the NLFT generally targets non-tribals and police/security forces personnel. Even tribals opposed to its whims of extortion are not spared.

19. It is stated that the attacks on non-tribals have given rise to frequent ethnic tension between the tribals and Bengalis as a result of which innocent people have fallen victim causing a wide schism between the tribals and non-tribals in the State leading to a volatile ethnic situation. It is stated that of late security forces and tribals have become the main targets of the violence of the NLFT and a large number of security forces personnel have been killed and extortion, looting, kidnapping, abduction etc. is quite rampant.

20. As regards the ATTF, it is stated that it has a very strong presence in West Tripura and it is estimated to possess 300 arms including AK-47/AK-56 series rifles, sten guns and carbines etc. The ATTF has been indulging in extortion of money from businessmen and Government employees in the name of ideology and has also been resorting to abduction for ransom.

21. The affidavit mentions some incidents by way of an annexure committed by the NLFT and the ATTF in 2006 and 2007.

22. In the annexure pertaining to the NLFT, the Central Government has referred to four FIRs dated 14th February, 2006, 29th April, 2006, 7th August, 2006 and 24th October, 2006. These have also been referred to in the documents filed by the State of Tripura and will be dealt with at the appropriate stage.

23. Five other incidents have been mentioned :

(i) FIR dated 26th October, 2006 (PS Manu) wherein it is mentioned that the NLFT ambushed a TSR party resulting in the killing of 2 TSR personnel. The NLFT cadres also snatched away one AK-47 rifle with one magazine.

(ii) FIR dated 30th October, 2006 (PS Nepaltilla) wherein it is mentioned that the NLFT cadres ambushed a TSR party in which one TSR personnel was killed and another injured. The

cadre also snatched one AK-47 rifle with three magazines and 90 rounds of ammunition.

(iii) FIR dated 2nd March, 2007 (PS Longtharai Valley) wherein the NLFT extremists killed two tribal labourers suspecting them to be police informers at their residence.

(iv) FIR dated 15th August, 2007 (PS Ganganagar) wherein it is mentioned that NLFT extremists ambushed a CRPF party in which one CRPF personnel was killed.

(v) FIR dated 27th August, 2007 (PS Mungiakauri) wherein one TSR personnel was killed in an encounter with the NLFT extremists.

24. Certified copies of the FIRs have been filed by the Central Government along with an application dated 18th March, 2008.

25. In so far as the activities of the ATTF are concerned, there is a reference to four FIRs and these are as follows :

(a) The first FIR is dated 20th October, 2006 (PS Teliamura) in which two TSR personnel were killed and one injured. The extremists also took away two AK-47 rifles with 180 rounds of ammunition.

(b) The second FIR is dated 6th March, 2007 (PS Champahour) in which 2 TSR personnel were killed while two other were injured in an ambush by the ATTF extremists who also looted 2 AK-47 rifles from the TSR personnel.

(c) The third FIR is dated 11th May, 2007 (PS Sidhai) in which one rifleman of Assam Rifle was killed in an encounter with ATTF extremists.

(d) The fourth FIR is dated 5th August, 2007 (PS Khowai) in which three tribals of a family were killed by the ATTF extremists.

26. Certified copies of these FIRs have been filed along with the application dated 18th March, 2008.

27. The Central Government has also filed certain documents in a sealed cover which are reports received from the R &AW, Intelligence Bureau, Director General, CRPF, Director General, BSF, Ministry of Defence and the Government of Tripura. A perusal of these documents supports the case of the Central Government. The details of these documents are not discussed for obvious reasons. Suffice it to say that these documents suggest the following:

(a) There is no decline in the violent activities of both the associations and that has kept the security forces of both the Central Government and the State Government on a high alert.

(b) Both the associations have continued with their secessionist activities and there is no change in their demand for separation of Tripura from the rest of India and creation of a separate "country". While the NLFT has been demanding a separate country since its inception, the secessionist tendencies of the ATTF have become more pronounced with its political wing, the TDPF formed in 1997, talking of national freedom through an armed movement against "Indian occupation forces" and independence from "colonial bondage".

(c) The NLFT has been advocating tribalism and it discards all sorts of relations with non-tribals in the State. The NLFT cadres target non-tribals who have become, of late, the main target of its violence.

(d) The main demands of the ATTF include:

(i) All illegal migrants who have entered Tripura after 1956 should be identified and evicted from the State.

(ii) All illegally alienated tribal lands should be restored to tribals and a separate Tribal Reserve Area should be constituted.

(e) Among the weaponry available with the NLFT, there are over a 100 automatic weapons including AK series rifles, rocket launchers and mines/IEDs while the ATTF has over 200 weapons including AK series rifles, grenade/rocket launchers and mines/ IEDs. Both the NFT and the ATTF are engaged in violent activities resulting in killing of CRPF personnel, civilians, undermining the authority of the State and spreading terror, violence and fear among the common people for achieving their objectives. Both the associations have a large number of prohibited arms and ammunitions and they have established and maintained camps in a neighbouring country for the purpose of escaping, training and procurement of arms/ ammunition.

(f) Both the associations have declared the secession of Tripura from India as their objective and are employing and engaging in armed means to achieve this objective. Both the associations have been indulging in intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds and have made efforts to establish contacts with other hostile organizations for influencing public opinion.

28. In the additional affidavit dated 24th March, 2008, the Central Government has placed on record earlier notifications dated 3rd April, 1997, 3rd October, 2001, 3rd

October, 2003 and 3rd October, 2005 declaring the NLFT and the ATTF as unlawful associations.

29. All these notifications were referred to a Tribunal constituted under the Act and orders were passed by the Tribunal confirming the last three notifications. It is in this background that the present notification dated 3rd October, 2007 has been issued.

30. It is stated by the Central Government that it has formed its opinion on the basis of reports received by it from R & A W, Intelligence Bureau, Central Reserve Police Force, Border Security Force, Ministry of Defence of the Government of India and also the State Government of Tripura.

31. Along with the affidavit, the Central Government has filed as Annexure H a letter dated 1st August, 2007 issued by the Home Department of the Government of Tripura wherein it is stated that both NLFT and ATTF should be declared as unlawful associations and that the ban be extended for a further period of two years on the following grounds:—

"(i) That both the outfits are continuing with their activities to wage armed struggle for so called liberation of Tripura.

(ii) They continue to question the merger agreement of Tripura with Indian Union which took place on 15 October, 1949 and term the day as Black Day. They reject the Constitution of India as a framework to resolve any dispute.

(iii) They continue to indulge in violence against civilians.

(iv) Their movement with sophisticated weapons and acts of kidnapping of civilians for ransom is still continuing. This has adversely affected the development efforts in the interior areas.

(v) They are attempting to run a parallel government in complete disregard to democratically elected Government of Tripura by imposing so called tax.

(vi) These militants have their camps in Bangladesh and as per intelligence inputs are linked with the anti-Indian elements in Bangladesh.

(vii) They are planning to interfere in the process of election for increasing extortion and to arrogate political power like previous occasions."

32. The letter dated 1st August, 2007 is accompanied by reports from the Inspector General of Police (Intelligence), the Superintendent of Police (CID) along with a large number of annexures.

33. Among the documents sent by the Superintendent of Police (CID) are the constitution of the NLFT and the ATTF both of which, it is stated, advocate secession of Tripura from the Indian Union as their objective. The associations have maintained separate armed wings with a hierarchical set up on the pattern of a regular army, equipped with a large number of sophisticated weapons and devices collected from abroad (Annexure A & B).

34. It is mentioned in the letter that during the last Republic Day (2007), both the ATTF and the NLFT gave a boycott call and raised black flags in the interior places of Tripura in order to prohibit the public from attending national functions. Extremists belonging to both the associations have set up their base camp in Bangladesh from where they are carrying out their operations inside Tripura. It is stated that NLFT has 13 camps in various places in Bangladesh while the ATTF has 12 camps in Bangladesh. The associations are collecting arms with the help of foreign agencies as well as underground outfits and extorting money from common people in the form of tax (Annexure N & O).

35. Despite the earlier orders declaring the two associations as unlawful associations, they have been giving calls to boycott elections such as in the Village Council Election of 2006. They have also been involved, in 2005, in 115 extremist related cases in which 41 persons were killed including 11 security personnel and 82 persons were injured including 8 security personnel. In addition, 62 persons were kidnapped and a total of 53 encounters/ ambushes between the security forces and the NLFT and the ATTF extremists took place in which 23 extremists were killed and 61 were arrested.

36. In 2006, a total of 102 extremist related cases were reported in which 27 persons including 14 security personnel were killed and 39 others including 27 security personnel were injured. As many as 43 persons were kidnapped and 57 incidents of encounter/ambush took place between the security forces and both the associations in which 27 extremists were killed and 67 extremists were arrested.

37. In 2007 (upto 30th June, 2007), a total of 57 extremist related cases were reported in the State of Tripura in which 7 civilians and 5 Security forces personnel were killed and 4 persons including 2 seurity forces personnel were injured. Extremists belonging to the two associations had kidnapped 28 civilians for ransom. Ten extremists were killed during the year and 27 arrested.

38. Summing up some of the special features of the violence, the Superintendent of Police stated as follows:

"(I) A desperate bid on the part of NLFT/ ATTF to thwart all development works in the state particularly in interior areas mainly populated by tribal and to create situation in favour of them.

(II) Members of NLFT/ATTF are still very ruthless even while on action against women and other soft targets.

(III) Attack on NH-44 which is life line of the State, killing/kidnapping of labourers from work site of construction of road/border fencing only prove their bids to stop the development of the state."

It is further stated in the letter that on 31st March, 2007, an online special interview of Ranjit Debbarma, the President of TPDF was posted on the website called tripuranews.co.uk in which he defended the necessity of an armed struggle to regain sovereign independence of the people of Tripura. Ranjit Debbarma claimed their struggle to be a genuine national liberation struggle to liberate themselves from the Indian colonial occupation. He reiterated that the ATTF and the NLFT are separate associations but their main objective is one and the same, that is, restoration of Tripura sovereign independence (Annexure K).

40. Along with the letter, a large number of annexures have also been attached even though they do not find a mention in the letter. These include notices demanding tax from several persons. These notices have been issued by the Government of Twipra Kingdom led by NLFT (Annexure C). There is also a CD of a film produced by ATTF called 'Satokjak Bosong' (Oppressed Nation) both in the local language as well as in English (Annexure G & H). There is also a CD of another film produced by ATTF called 'Yakma Lama' (Way of Survival) along with the English translation thereto (Annexure I & J). A document titled 'Inputs relating to list of existing camps inside Bangladesh/approx. strength/ fire power/movements/hideouts based on recent past interrogation reports of surrendered ATTF and NLFT (BM) militants' has been attached as Annexure N. This gives the list and general location of all the camps of the two associations along with their leaders and cadres (Annexure N & O). A CD containing interrogation reports of surrendered ATTF extremists has been filed as Annexure R and a large number of First Information Reports (FIRs) relating to extremist related cases have been filed as Annexure S.

41. An overall perusal of this affidavit clearly suggests that both the associations have been engaging in various activities which are in conflict with the integrity of the country and are certainly in violation of the provisions of the Act.

42. The State of Tripura has also produced evidence independently to support the declaration.

43. As regards subversive, violent and unlawful activities of the NLFT and the ATTF which undermine the authority of the Central Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives, reliance has been placed on the aims and objects of the NLFT and the ATTF.

44. The preface to the constitution of the NLFT, as well as the constitution itself appear to have been adopted by the Central Committee of the NLFT on 15th November, 1994 and is marked as Mark A.

(a) The preface to the constitution contains the basis for the subversive movement of the NLFT in Tripura. It is mentioned, *inter alia,* that the indigenous people known as Borok have been completely marginalized by the continuing influx of immigration of foreign nationals and that the indigenous people are being exploited, oppressed and suppressed due to the menacing chauvinism and imperialism of India. There is a threat to the language, customs and religions of the indigenous people and there is a cultural genocide that is being practiced. It is also stated that the Government of India has imposed draconian laws such as Armed Forces Act, 1958, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, and the National Security Act on indigenous Borok people of Tripura to prevent insurgency. It is alleged that this is the regular practice of imperialist India to uproot the indigenous people from their homeland. It is stated that under these circumstances, the nationalist Borok youth congregated at Gonda Twisa on 12th March, 1989 and formed the NLFT as well as its armed wing, that is, the Borok Army on 11th December, 1991.

(b) As per the preface, the aims and objectives of the NLFT include the overthrow of imperialism, capitalism and neo-colonialism from the 'Country' through an armed struggle for the distinct and independent identity of the Borok civilization of Twipra; to liberate Borokland Twipra and establish a People's Republic Government; to free the Borok nation from the social, economic and political exploitation, oppression, suppression and neo-colonization and to further the cause of the traditional indigenous culture and beliefs of the people; to send observers or participating delegates in national and international seminars, etc. On this basis, the constitution of the Borok people has been drafted and approved by the Central Executive meeting held on 15th November, 1994.

45. The constitution of the NLFT states that it has been resolved to constitute a revolutionary organization to liberate the Borokland Twipra for the distinct and independent identity or Borok civilization and to promote liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Thereafter, the emblem and official language of the Borok people of Twipra have been described. Chapter II of the constitution concerns itself with the membership of the

NLFT while Chapter III deals with the rights, duties and obligations of the members of NLFT. Chapter IV of the constitution deals with the organizational structure of the party which includes its office bearers such as the President, Vice President, Secretary General, Foreign Secretary, Finance Secretary, Home Secretary, Judicial Secretary, etc. The functions of the various authorities have been indicated in Chapter V of the constitution. The area of operation of the NLFT has been indicated in Article 32 of the constitution (Chapter VI) and it includes the united state of Tripura, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Nepha (Arunachal) and Sikkim.

46. Similarly, the constitution of the ATTF is also placed on the record and is marked as Mark B. The motive and objective of the ATTF is to utilize all its strength through an armed struggle without any compromise for the existence of a 19 point interest of tribals under the Constitution of India. The ATTF says that it will fight for the fulfillment and application of all decisions accepted in the Indian Parliament. The seven States of the north east, that is, Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh and Meghalaya will form a separate country and for this the ATTF will support all sorts of movements and will utilize their own force for that purpose. The ATTF will fight against squeeze, torture, oppression upon tribals and for the struggle of their freedom. Article 5 of the constitution of the ATTF deals with law and order while Article 6 deals with discipline and restrictions. Article 8 deals with public relations and Article 11 deals with contribution and membership collection process. Article 12 deals with the structure of the ATTF and all persons from the President to a Major will be the members of the Central Committee. The ATTF will have two regiments, one called the Bir Bikram Regiment and the other as the Borok Regiment. The formation of the organization has been mentioned and the Commander in-Chief of the ATTF will control all bus and regiments of the force. The ATTF has its own flag and symbol.

47. The aforesaid documents clearly indicate that both the NLFT and the ATTF intend to establish a separate country and neither of them accept their existence under the Constitution of India, although the ATTF agrees with certain principles of the Constitution of India which it seeks to enforce through its own constitution. This clearly shows that the NLFT and the ATTF propagate a secessionist ideology and do not accept the north-east of India to be a part of India or at least expect the north-eastern States to form a separate country. The two associations, therefore, indulge in an unlawful activity as defined in Section 2(o)(i) of the Act.

48. In pursuance of their objectives, the two associations have established the Government of Twipra Kingdom. There are on the record of the Tribunal documents marked as Mark D, F and G which are notices issued by the Government of Twipra Kingdom demanding payment of some taxes. The notices have been signed by a person claiming to be the Secretary of Revenue and Tax Department of the Government of Twipra Kingdom. These documents suggest that efforts are being made by the NLFT and the ATTF to raise finances outside the law of India and the indication clearly is to finance the running of some sort of a parallel government. Documents Mark C and E do not advance the case of the Central Government or the State of Tripura.

49. In support of its case that the NLFT and the ATTF carry out violent and unlawful activities, spread terror and violence among the people for achieving their objectives, the State of Tripura has filed as Mark M a chart indicating the number of persons kidnapped, injured and killed as well as the security forces killed and injured from 3rd October, 2005 till August, 2007. Mark M reads as follows:

HEADS	2005 from 3-10-05	2006	2007 upto Aug.'07	Total
PERSONS KIDNAPPED	10	43	41	94
PERSONS INJURED	9	12	3	24
PERSONS KILLED	8	13	11	32
SECURITY FORCES KILLED	5	14	7	26
SECURITY FORCES INJURED	2	27	3	32

50. The State of Tripura has also filed copies of FIRs with respect to the killing of civilians and personnel belonging to the police and security forces, kidnapping, abduction and demands for ransom made by the NLFT and the ATTF. Certified copies and carbon copies of the originals were produced by the State and these have been exhibited.

(i) Ext. T -1 is an FIR registered in Police Station Birganj on 15th November, 2005 which records that about 10 or 12 unknown armed extremists wearing Assam Rifles uniform entered the house of the complainant with AK-47 rifles and fired about 100 or 150 rounds indiscriminately. According to the complainant, his wife and mother-in-law died as a result of the attack and his daughter sustained bullet injuries. Later, the complainant came to know that a lady from the neighbouring house was also killed by the extremists.

(ii) Ext. T-2 is an FIR registered in Police Station Jirania on 16th October, 2005. According to the complainant, about 3-4 unknown armed extremists of the ATTF fired rounds and shot dead the brother-in-law of the complainant.

(iii) Ext. T-3 is an FIR registered in Police Station

Ambassa on 30th October, 2005. It is stated therein that about 20/25 unknown armed extremists suspected to be from the NLFT entered the house of the complainant and opened fire indiscriminately and the complainant's father and sister received injuries, to which they succumbed while under treatment. Others also received injuries and the extremists also abducted one person. The extremists were armed with sophisticated weapons.

(iv) Ext. T-4 is an FIR registered in Police Station Killa on 8th November, 2005 where some unknown armed extremists opened fire on a police party and thereafter escaped in the jungles.

(v) Ext. T-5 is an FIR registered in Police Station Champahowar on 14th November, 2005. Some 10 or 12 NLFT extremists who were heavily armed attacked an official ambush party. The exchange of fire resulted in the death of an NLFT extremist and recovery of an AK-66 rifle and some live magazines and rounds.

(vi) Ext. T-6 is an FIR registered in Police Station Salema on 16th November, 2005 and this pertains to an attack by 20 or 25 armed extremists who gave a subscription notice to the complainant to collect subscriptions for the organization. The father of the complainant was abducted by the extremists.

(vii) Ext. T-7 is an FIR registered in Police Station Gandacherra on (illegible) which deals with extortion threats received by the complainant from the NLFT extremists as well as the fact that the mother of the complainant had been abducted by the NLFT extremists at gunpoint.

(viii) Ext. T-8 is an FIR registered in Police Station Taidu on 9th November, 2006 which mentions about an assault on villagers by a group of armed militants wearing army uniform. The extremists set fire to ten houses in the villages as a result of which all household articles including paddy, clothes etc. were gutted.

(ix) Ext. T-9 is an FIR registered in Police Station Teliamura on 14th February, 2006. According to the complainant, a group of armed extremists attacked some employees of GAIL with the result that two of them died in a hospital.

(x) Ext. T-10 is an FIR registered in Police Station Ambassa on 9th September, 2006 and relates to the abduction of the complainant's son by armed extremists who gave information that he would not be released without payment of ransom.

(xi) Ext. T-11 is an FIR registered in Police Station Kanchanpur and this again deals with some extremists of the NLFT demanding an amount of Rs.2 lakhs as ransom for an abducted person.

(xii) Ext. T-12 is an FIR registered in Police Station Gandacherra on 17th December, 2006 and relates to extremists kidnapping two persons.

(xiii) Ext. T-13 pertains to an FIR registered in Police Station Ganganagar on 24th October, 2006 where armed NLFT extremists fired rounds from two AK-47 rifles which resulted in two police personnel dying at the spot.

(xiv) Ext. T-14 is an FIR pertaining to Police Station Sidhai registered on 12th February, 2006. In this, it is alleged that some ATTF extremists fired at and injured a havaldar from Assam Rifles. The extremists also lobbed grenades at the police party and injured a policeman.

(xv) Ext. T-15 is an FIR registered in Police Station Kamalpur on 22nd November, 2006 and relates to an incident of firing by the NLFT, extremists and recovery of one AK-47 rifle, one SLR and miscellaneous items belonging to the extremists.

(xvi) Ext. T-16 is an FIR registered in Police Station Ambassa on 7th August, 2006. According to the complainant, extremists of the NLFT fired approximately 150 rounds which resulted in injuries sustained by police personnel.

(xvii) Ext. T-17 is an FIR registered in Police Station Champahowar on 13th October, 2006. In this FIR, the NLFT extremists have been named and it is mentioned that they attacked a police party with sophisticated weapons and that there was an exchange of fire between those NLFT extremists and the police party.

(xviii) Ext. T-18 is an FIR registered in Police Station Killa on 5th December, 2006 and again relates to exchange of fire between a police party and NLFT activists who were armed with sophisticated weapons. One of the extremists died as a result of the exchange of fire and there was recovery of one hand grenade, some subscription notices and pads and the manifesto of the NLFT.

(xix) Ext. T-19 is an FIR registered in Police Station Kanchanpur on 26th July, 2006. This relates to opening of gun fire by the NLFT extremists and the apprehension of two extremists who were found in possession of an illegal country made gun, an AK-47 rifle, live cartridges and other incriminating articles. Spot enquiries revealed that the NLFT group had made a criminal conspiracy to attack the security

force and to collect subscription forcibly from local people under that police station.

(xx) Ext. T-20 and T-21 are two FIRs registered in Police Station Ganganagar. The first FIR is dated 21st September, 2006 and relates to an attack by the NLFT extremists and recovery of several items including a flag of the NLFT and rifles and cartridges as well as some Bangladesh currency. The second FIR is dated 10th July, 2006 and concerns an exchange of fire between the extremists and a police party which resulted in the death of one extremist.

(xxi) Ext. T-22 is an FIR registered in Police Station Sidhai on 25th February, 2006 and it mentions that some unknown militants opened fire on an ambush party as a result of which one jawan received gunshot wounds and he later succumbed to his injuries.

(xxii) Ext. T-23 is an FIR registered in Police Station Kanchanpur on 6th August, 2006 and relates to an attack hy the NLFT extremists with sophisticated weapons with the intention or killing members or the security forces.

(xxiii) Ext.-T-24 is an FIR registered in Police Station Ganganagar on 29th April, 2006 and concerns an attack on a convoy of CRPF personnel. The attack by armed extremists resulted in the death of three police personnel and injuries to several of them.

(xxiv) Ext. T-25 is an FIR registered in Police Station Champahowar on 3rd July, 2007. It is alleged that eight armed ATTF extremists carrying sophisticated weapons assaulted two persons who received severe injuries.

(xxv) Ext. T-26 is an FIR registered in Police Station Champahowar on 31st August, 2007 and relates to abduction of the husband of the complainant at gunpoint for ransom by NLFT activists.

(xxvi) Ext. T-27 is an FIR registered in Police Station Kalyanpur on 6th May, 2007 relating to a demand for subscription from villagers by armed NLFT extremists and the abduction of one civilian.

(xxvii) Ext. T-28 is an FIR registered in Police Station Ambassa on 27th June, 2007 where NLFT extremists in Assam Rifle uniform compelled the husband of the complainant to accompany them at gunpoint and abducted him.

(xxviii) Ext. T-29 is an FIR registered in Police Station Khowai on 6th August, 2007and pertains to 10 or 12 armed ATTF extremists who killed three civilians related to the complainant.

(xxix) Ext. T-30 is an FIR registered in Police Station Kanchanpur on 3rd May, 2007 and relates to the kidnapping of three boys by extremists belonging to the NLFT, who had sophisticated weapons with them.

(xxx) Ext. T-31 is an FIR registered in Police Station Champahowar on 11th August, 2007 wherein the elder brother of the complainant was abducted by the extremists at gunpoint. The extremists also snatched cash and gold ornaments and demanded ransom for release of the brother of the complainant.

(xxxi) Ext. T-32 is an FIR registered in Police Station Raishyabari on 6th June, 2007. It is stated that some armed extremists attacked a police party, as a result of which one BSF constable died. After the extremists left, some weapons, including a hand-grenade, was recovered from the spot.

(xxxii) Ext. T-33 is an FIR registered in Police Station Champahowar on 16th January, 2007 and concerns injuries to police personnel inflicted by armed NLFT extremists. There was also recovery of subscription notices of the NLFT.

51. The large number of FIRs registered in various police stations across the State of Tripura indicates that, over a period of time, a systematic plan was put into operation by the extremists of the NLFT and the ATTF to attack police personnel and to kill civilians indiscriminately. There are various instances of kidnapping and abduction and demands for ransom and payment of subscriptions. Needless to say, all these activities collectively show that the NLFT and the ATTF extremists not only carried out subversive activities but spread terror among the local inhabitants through violent means. There was a systematic attempt both by the NLFT and ATTF extremists to subvert the law of the land and their activities would clearly fall within the definition of 'unlawful activities' as defined in Section 2(O) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

52. The wave of extortion let loose by the NLFT and the ATTF is further evidenced by all these FIRs brought on record by the State of Tripura, none of which have been denied.

53. On the issue of causing and fomenting clashes between tribal and non-tribal communities in Tripura, reliance was placed by learned counsel for the State of Tripura on Ext. T-32 which is an FIR registered in Police Station Raishyabari on 6th June, 2007 which showed recovery of a large number of weapons. However, this FIR does not disclose any allegation of causing or fomenting communal clashes. But, there are certain documents on record filed by the State of Tripura which are marked as Mark H, I and L which suggest that the NLFT and the ATTF extremists have made a hostile distinction between

tribal and non-tribal communities in Tripura.

54. Mark H is a call issued by the NLFT for a boycott of the Independence Day celebrations in Tripura. It is explained in the document that the Government of India began to colonize Tripura and hundreds and thousands of Hindu Bengalis from across the border were encouraged to come and settle in Tripura. This eventually led to a demographic catastrophe as a result of which only 30% of the total population in Tripura consists of the indigenous population. It is stated in the document that several representations were made to the Government of India but to no effect with the result that armed resistance to Indian rule began in 1950s. It is alleged in the document that the provincial government is under the control of "aliens" and "Indians" and provides Indian citizenship to all Hindu Bengalis immigrants and that there has been an institutionalization of powers in the hands of the illegal settlers which is unacceptable to the Borok who are the indigenous people of Tripura. This document clearly suggests an intention to create a divide between the indigenous population of Tripura as well as those who have come from outside. The document goes on to say that while there is every reason to celebrate 15th August as Independence Day for the Indians and particularly the Hindu Bengali illegal settlers, who are otherwise illegitimate in Twipra, there is no occasion for the NLFT which is fighting for the restoration of the independence and sovereignty of Twipra, to celebrate the Independence Day. On the contrary, the Borok gave a call for abstaining and boycotting the Independence Day celebrations 2007.

55. Mark I is an appeal for reconciliation and unity among Borok leaders issued on 25th August, 2007. This document mentions that efforts have been made to regain the dignity of the Borok people who should ensure that there is reconciliation and unity among them. This document does not in any manner relate to causing and fomenting communal clashes among tribals and non-tribals.

56. However, one other document placed on record by the State of Tripura, namely, a call issued by the NLFT on 27th September, 2007 for observing 15th October, 2007 as a black day has been placed on record. A perusal of this document, which is Mark L, reiterates the events leading to what is described by the NLFT as a demographic catastrophe and relates to creating a divide between the indigenous population of Tripura and settlers from other parts of the country.

57. The evidence in this regard produced both by the Central Government and the State of Tripura, coupled with the absence of any denial of these facts by the NLFT or by the ATTF or any contest by either of them, the submission of learned counsel for the State of Tripura should be accepted and it must be held that these documents manifest an intention of the NLFT and the ATTF to create a divide between tribals and non-tribals, which is an unlawful activity under Section 2(O) of the Act inasmuch as it seeks to incite a group of individuals to secede from the Indian union.

58. Ext. J is a document in the regional language and was not relied on by learned counsel for the State of Tripura.

59. A cumulative analysis of the entire evidence on record undoubtedly suggests that the activities of the NLFT and the ATTF are unlawful and that the conclusion of the Central Government that both the associations have been engaging in subversive and violent activities, undermining the authority of the Central Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives is fully justified. The opinion of the Central Government that both the associations have linkages with other unlawful associations with the aim of mobilizing support and that they have been engaging in violent and unlawful activities, in pursuance of their aims and objectives, which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India is also justified.

60. Both the Central Government as well as the State of Tripura have led sufficient evidence in support of the conclusion that both the associations have indulged in a spree of killing civilians and personnel belonging to police and security forces, extortion of funds from the general public in Tripura, establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition etc. and causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura.

61. There is also sufficient evidence that has been led by the Central Government and the State Government to the effect that both the associations have mobilized their cadres for escalating their secessionist, subversive and violent activities. They have propagated anti-national activities in association with forces inimical to India's sovereignty and integrity. Both the associations have repeatedly indulged in killing of civilians, police and security forces personnel through illegal arms and ammunition. Under the circumstances, the Central Government has shown sufficient cause for confirming the declaration made under Section 3(1) of the Act as well as under Section 3(3) of the Act.

62. Consequently, it is concluded that the issuance of the notification dated 3rd October, 2007 is fully justified. There is sufficient cause for declaring the NLFT and the ATTF as unlawful associations with effect from 3rd October, 2007 for a period of two years.

31st, March, 2008

Madan B. Lokur, J.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.